2024 का विधेयक संख्यांक 109

[दि वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

2. वक्फ अधिनियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वक्फ" शब्द के स्थान पर "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास" शब्द रखे जाएंगे । 1995 का 43

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(कक) "आगाखानी वक्फ" से आगाखानी वाकिफ द्वारा समर्पित वक्फ अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(गक) "बोहरा वक्फ" से बोहरा वाकिफ द्वारा समर्पित वक्फ अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घक) "कलक्टर" में जिले का भू-राजस्व कलक्टर या उपायुक्त अथवा कलक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत उप कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी सम्मिलित है ;';

'(iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(चक) "सरकारी संगठन" में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिकाओं, पंचायतों से संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वायत निकाय या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई संगठन या संस्था, सम्मिलित है ;

(चख) "सरकारी संपत्ति" से सरकारी संगठन से संबंधित कोई चल या अचल संपत्ति या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;';

(v) खंड (झ) में, "मौखिक रूप से अथवा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(टक) "पोर्टल और डेटाबेस" से वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली या वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखा, संपरीक्षा और कोई अन्य ब्यौरे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य प्रणाली अभिप्रेत है ;';

(vii) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;';

(viii) खंड (त) का लोप किया जाएगा;

(ix) खंड (द) में,—

(क) आरंभिक भाग में "किसी व्यक्ति द्वारा" से प्रारंभ होने वाले "और इसके अंतर्गत है" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "किसी व्यक्ति द्वारा जो कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम की साधना कर रहा है, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी संपत्ति का स्वामित्व रखते हुए, ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (iv) में, "कल्याण" शब्द के पश्चात् "विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के भरण-पोषण ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) दीर्घ रेखा में, "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "ऐसा कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

वक्फ की कतिपय शर्तें ।

"3क. (1) कोई व्यक्ति वक्फ का सृजन नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह ऐसी संपत्ति का विधिपूर्ण स्वामी नहीं है और ऐसी संपत्ति को अंतरित या समर्पित करने के लिए सक्षम नहीं है ।

(2) वक्फ-अल-औलाद के सृजन का परिणाम, वाकिफ के महिला उत्तराधिकारियों सहित, उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार अधिकारों का प्रत्याख्यान नहीं होगा ।

पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ का विवरण फाइल करना ।

3ख.(1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ से पूर्व इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक वक्फ ऐसे प्रारंभ से छह मास की अवधि के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ और वक्फ के लिए समर्पित संपत्ति के ब्यौरे फाइल करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वक्फ के ब्यौरों में अन्य सूचना के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) वक्फ संपत्तियों की पहचान और सीमाएं, उनका उपयोग और अधिभोगी ;

(ख) वक्फ के सृजनकर्ता का नाम और पता, ऐसे सृजन की रीति और तारीख ;

(ग) वक्फ विलेख, यदि उपलब्ध हो ;

(घ) वर्तमान मुतवल्ली और उसका प्रबंधन ;

(ङ) ऐसी वक्फ संपत्तियों से सकल वार्षिक आय ;

(च) वक्फ संपत्तियों के संबंध में वार्षिक रूप से संदेय भू-राजस्व, उपकर, दरों और करों की रकम ;

(छ) वक्फ संपत्तियों की आय प्रापण में वार्षिक रूप से उपगत प्राक्कलित व्यय ;

(ज) निम्नलिखित के लिए वक्फ के अधीन पृथक रखी गई रकम—

(i) मुतवल्ली का वेतन और व्यष्टिकों के भत्ते ;

(ii) केवल धार्मिक प्रयोजन ;

(iii) धर्मार्थ प्रयोजन ; और

(iv) कोई अन्य प्रयोजन ;

(झ) ऐसी वक्फ संपत्तियों को अंतर्वलित करने वाले न्यायालय मामले; यदि कोई हों, के ब्यौरे ;

(ञ) कोई अन्य विवरण जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

वक्फ की सदोष घोषणा ।

3ग. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् वक्फ संपत्ति के रूप में पहचान की गई या घोषित हुई सरकारी संपत्ति किसी वक्फ की संपत्ति नहीं समझी जाएगी ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न कि क्या कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं, उद्भूत होता है तो उसे अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को निर्दिष्ट किया जाएगा, वह ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे, तथा वह यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु ऐसी संपत्ति तब तक वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक कलक्टर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करें ।

(3) यदि कलक्टर यह अवधारित करता है कि वह संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो वह राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) राज्य सरकार, कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्ति पर अभिलेखों में समुचित संशोधन करने हेतु बोर्ड को निदेश देगी ।

धारा 4 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, "ओकाफ़ का सर्वेक्षण" शीर्षक रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ पर सर्वेक्षण आयुक्त के समक्ष लंबित कोई ओकाफ सर्वेक्षण अधिकारिता रखने वाले कलक्टर को अंतरित किया जाएगा और कलक्टर राज्य की राजस्व विधियों में प्रक्रिया के अनुसार कलक्टर को अंतरित ऐसे सर्वेक्षण के स्तर से आगे सर्वेक्षण करेगा और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

करेगा ।";

(ग) उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (4) में आरंभिक भाग में "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) उपधारा (5) में, "सुन्नी वक्फ" के पश्चात् "या आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "शिया ओकाफ़" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी ओकाफ़ या बोहरा ओकाफ़" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर पोर्टल पर ओकाफ की अधिसूचित सूची और डाटाबेस अपलोड करेगी ।"

(2ख) प्रत्येक वक्फ के ब्यौरों में वक्फ संपतियों की पहचान, सीमाएं, उनके उपयोग और अधिष्ठाता, सृजनकर्ता के ब्यौरे, ऐसे सृजन की तारीख, पद्धति और वक्फ का प्रयोजन, उनके वर्तमान मुतवल्ली और प्रबंधन में ऐसी रीति जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अंतर्विष्ट होंगे ।";

(घ) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) राजस्व प्राधिकारी तत्समय प्रवृत राजस्व विधियों के अनुसार भू-अभिलेखों में दाखिल खारिज विनिश्चित करने के पूर्व दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, 90 दिन की लोक सूचना ऐसे क्षेत्रों की अवस्थितियों में प्रचालित करेगा और प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा ।";

(ङ) उपधारा (4) में, "समय-समय पर" शब्दों के पश्चात "पोर्टल और डाटाबेस पर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) पहले परंतुक में, "एक वर्ष" , शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "सर्वेक्षण आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1) में,—

(i) "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "या आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) पहले परंतुक में, "एक वर्ष" शब्द जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के पश्चात् अधिकरण द्वारा कोई आवेदन ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने हेतु उसके पास पर्याप्त कारण था :

परंतु यह और कि" ।

धारा 9 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) वक्फ का भार साधक संघ का मंत्री—पदेन अध्यक्ष;

(ख) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा से होंगे और एक राज्य सभा से होगा ;

(ग) निम्नलिखित सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) अखिल भारतीय चरित्र और राष्ट्रीय महत्व वाले मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन व्यक्ति ;

(ii) चक्रानुक्रम द्वारा तीन बोर्डों के अध्यक्ष ;

(iii) पांच लाख रुपए या उससे अधिक की कुल वार्षिक आय वाले वक्फ के मुतवल्लियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति ;

(iv) तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि में ख्यातिप्राप्त विद्वान हों ;";

(घ) दो व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय

के न्यायाधीश रह चुके हों ;

(ङ) राष्ट्रीय ख्याति का एक अधिवक्ता ;

(च) राष्ट्रीय ख्याति के चार व्यक्ति, प्रशासन या प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, इंजीनियरी या वास्तुकला और चिकित्सा के क्षेत्र से प्रत्येक से एक-एक व्यक्ति ;

(छ) संघ मंत्रालय या विभाग में वक्फ मामलों से संबंधित अपर सचिव या संयुक्त सचिव, भारत सरकार - सदस्य, पदेन :

परंतु खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त कुल सदस्यों में से दो सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोहरा और आगाखानी के लिए पृथक् बोर्ड स्थापित कर सकेगी ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे,—

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख)(i) यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से एक संसद् सदस्य ;

(ii) राज्य विधानमंडल का एक सदस्य ;

(ग) मुस्लिम समुदाय में आने वाले निम्नलिखित सदस्य, अर्थात्:—

(i) एक लाख रुपए या उससे अधिक की आय वाला वक्फ का एक मुतवल्ली ;

(ii) मुस्लिम धर्मविधा का एक ख्यातिप्राप्त विद्वान ;

(iii) नगर पालिकाओं या पंचायत से दो या अधिक निर्वाचित सदस्य :

परंतु उपखंड (i) से उपखंड (iii) में किसी भी श्रेणी से कोई मुस्लिम सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो उपखंड (iii) में श्रेणी से अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

(घ) दो व्यक्ति, जिनके पास व्यवसाय प्रबंध, सामाजिक कार्य,

वित्त या राजस्व, कृषि और विकास गतिविधियों में वृतिक अनुभव है ;

(ङ) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो ;

(च) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधिज्ञ परिषद् का एक सदस्य :

परंतु खंड (ग) के अधीन नियुक्त बोर्ड के दो सदस्य, महिला होंगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त बोर्ड के कुल सदस्य में से दो सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे :

परंतु यह और कि बोर्ड में कम से कम एक सदस्य शिया, सुन्नी और मुस्लिम समुदायों के अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा :

परंतु यह और भी कि राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कार्यात्मक ओकाफ होने की स्थिति में बोहरा और आगाखानी समुदायों से एक एक सदस्य को बोर्ड मे नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

परंतु यह और भी कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ पर पद धारण करने वाले बोर्ड के निर्वाचित सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्री, बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं होगा ।

(3) संघ राज्यक्षेत्र के मामले में, बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच से अन्यून एवं सात से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ।";

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(6) मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या का अवधारण करने में, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की दशा में केन्द्रीय सरकार को, बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले मुस्लिम ओक़ाफ़ के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या और महत्व को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति, जहां तक हो सके, ऐसे अवधारण के अनुसार की जाएगी ।";

(ग) उपधारा (8) का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) यदि वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडित किया गया है ;"।

13. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "उसका अधिवेशन" शब्दों के पश्चात्, "प्रत्येक मास में कम से कम एक बार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । धारा 17 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 20क का लोप किया जाएगा । धारा 20क का लोप ।

15. मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 23 का संशोधन ।

"(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला बोर्ड का पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनून्य नहीं होगा ।"।

16. मूल अधिनियम की धारा 32 में,— धारा 32 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, खंड (ङ) में स्पष्टीकरण और परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में, "और अभिकरण का विनिश्चय इस पर अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

17. मूल अधिनियम की धारा 33 में,— धारा 33 का संशोधन ।

(क) उपधारा (4) मे, परन्तुक में "और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

18. मूल अधिनियम की धारा 36 में,— धारा 36 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारम्भ से, कोई वक्फ विलेख के बिना निष्पादन के सृजित नहीं किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) आरम्भिक पैरा में, "ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, उपबंध करे" शब्दों के स्थान पर "पोर्टल और डाटा बेस के माध्यम से बोर्ड के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(च) कोई अन्य विशिष्टियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जा सकें ।"।

(ग) उपधारा (4) में, "अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है तो उसमें वक्फ के उद्गम, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि वे

आवेदक को ज्ञात है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड आवेदन के असली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किन्हीं विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच करते हुए अपनी अधिकारिता में कलेक्टर को आवेदन अग्रेषित करेगा :

परन्तु आवेदन वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ड वक्फ को रजिस्ट्रर करने से पहले आवेदन की सूचना वक्फ का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि वह सुनवाई चाहता है तो उसको सुनेगा ।

(7क) जहां कोई कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में उल्लिखित करता है कि कोई संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवाद में है या सरकारी संपत्ति है, वक्फ संपत्ति के ऐसे भाग के संबंध में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक विवाद का विनिश्चय सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता ।";

(ङ) उपधारा (8) में, परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(9) बोर्ड, वक्फ का रजिस्ट्रीकरण करने पर पोर्टल और डाटा बेस के माध्यम से वक्फ को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(10) किसी वक्फ, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, की ओर से किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही का वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रारम्भ से छह मास की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् किसी न्यायालय द्वारा संस्थित या प्रारम्भ या सुनवाई, विचारण या विनिश्चय नहीं किया जाएगा ।" ।

धारा 37 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में "विशिष्टियां" शब्द के पश्चात् "ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (च) में, "विनियमों द्वारा उपबंधित" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "भू-अभिलेख कार्यालय" शब्दों के पश्चात् "प्रवृत्त राजस्व विधियों के अनुसार भू-अभिलेख में नामांतरण के विनिश्चय से पूर्व ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्रों में प्रचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में नब्बे दिन की सार्वजनिक सूचना देगा जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगी तथा प्रभावित व्यक्ति को

सुनवाई का अवसर देगा" शब्द रखे जाएंगे ।

20. मूल अधिनियम की धारा 40 का लोप किया जाएगा । धारा 40 का लोप किया जाना ।

21. मूल अधिनियम की धारा 46 में, उपधारा (2) में,— धारा 46 का संशोधन ।

(क) "जुलाई" शब्द के स्थान पर दोनों स्थान पर जहां वे आते हैं, "अक्तूबर" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, प्राप्त सभी व्यय के बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, किसी स्रोत से प्राप्त सभी व्यय के केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

22. मूल अधिनियम की धारा 47 में,— धारा 47 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "बोर्ड द्वारा नियुक्त" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"राज्य सरकार द्वारा तैयार लेखा परीक्षकों के पैनल में से :

परन्तु राज्य सरकार लेखा परीक्षकों के ऐसे पैनल को तैयार करते समय ऐसे लेखा संपरीक्षकों को संदाय करने वाले पारिश्रमिक को विनिर्दिष्ट करेगी ;";

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,—

"(ख) ऐसे वक्फ के, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक है, लेखाओं की संपरीक्षा वार्षिक रूप में ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी जो खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षकों के पैनल से बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो ;";

(iii) खंड (ग) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए भारत के महालेखा संपरीक्षक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहीत किए गए किसी अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा किसी भी समय किसी वक्फ की संपरीक्षा को कराने के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी ;";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।":

(ग) उपधारा (3) के दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 48 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियां और आदेश ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रकाशित किए जाएंगे ।";

(ख) उपधारा (3) में, "और अधिकरण को उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए आदेश का प्रवर्तन रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 50क का अंत:स्थापन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

मुतवल्ली की निरर्हता ।

"50क. कोई व्यक्ति, मुतवल्ली के रूप में, नियुक्त होने या बने रहने के लिए अर्हक नहीं होगा, यदि वह,—

(क) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है ;

(ख) विकृतचित्त व्यक्ति के रूप में पाया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(घ) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से उसे दंडित किया गया है ;

(ङ) किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण का दोषी ठहराया गया है ;

(च) किसी पूर्व अवसर पर–

(i) मुतवल्ली के रूप में हटाया गया है ; या

(ii) कुप्रबंधन के लिए या भ्रष्टाचार के लिए भरोसे की स्थिति से सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा हटाया गया है ।"।

धारा 52 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) में, "और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 52क का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 52क में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "कठोर कारावास" शब्दों के स्थान पर, "कारावास" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परन्तु में, "बोर्ड में निहित" शब्दों के स्थान पर, "वक्फ को

वापस प्रतिवर्तित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 55क का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 55क की उपधारा (2) के परंतुक में, "और उस पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 61 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 61 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ङ) और खंड (च) का लोप किया जाएगा ;

(ii) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"असफल रहेगा तो वह, जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान नहीं कर देता है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण था, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि कोई मुतवल्ली,—

(i) किसी वक्फ संपति का कब्जा परिदान करने में, यदि बोर्ड या अधिकरण द्वारा आदेश किया जाए ;

(ii) कलेक्टर या बोर्ड के निदेशों का कार्यान्वयन करने में ;

(iii) कोई अन्य कृत्य करने में, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे विधिपूर्वक करना अपेक्षित है ;

(iv) धारा 46 के अधीन लेखाओं का विवरण प्रदान करने में ;

(v) धारा 3ख के अधीन वक्फ के ब्यौरे अपलोड करने में,

असफल रहेगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा तथा जुर्माने से भी, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

धारा 64 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) एक वर्ष के लिए ऐसे नियमित लेखाओं को रखने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल रहा है अथवा एक वर्ष के भीतर वह वार्षिक लेखा विवरण देने में असफल रहा है, जो धारा 46 द्वारा अपेक्षित है ; अथवा";

(ii) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) किसी ऐसे संगम का सदस्य है, जिसे विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया है ।"; 1967 का 37

(ख) उपधारा (4) में, "और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 65 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) में, "यथाशीघ्र" शब्द के स्थान पर, "छह मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 67 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 67 में,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा ।";

(ख) उपधारा (6) के दूसरे परंतुक में, "और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 69 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 69 में,—

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति तथा जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए लिखित नोटिस नहीं दिया जाता है ।"।

धारा 72 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 72 में,—

(क) उपधारा (1) में, "सात प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, "और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 73 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (3) में, "तथा ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 83 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 83 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई अन्य अधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण के रूप में घोषित किया जा सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :—

"परंतु यदि कोई अधिकरण नहीं है या अधिकरण कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई व्यथित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।" ।

(ग) उपधारा (4) के स्थान, निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) प्रत्येक अधिकरण दो सदस्यों से मिलकर बनेगा—

(क) ऐसा एक व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है या नियुक्त किया गया है, जो अध्यक्ष होगा ; और

(ख) ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के समतुल्य का अधिकारी है या नियुक्त किया गया है - सदस्य :

परंतु सदस्य का अनुपस्थिति की दशा में, पीठ का अध्यक्ष अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा :

परंतु यह और कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 के प्रवर्तन के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष और इसके सदस्यों के पद की अवधि की समाप्ति तक ऐसे कृत्य करना जारी रखेगा ।";

(घ) उपधारा (4क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा ।";

(ङ) उपधारा (7) में "अंतिम होगा और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।"।

धारा 84 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 84 में,—

(क) "विनिश्चय लिखित रूप में" शब्दों के पश्चात् "आवेदन की तारीख से छह मास के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि मामला छह मास के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, तो अधिकरण लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए कि क्यों छह मास की उक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित नहीं किया गया था, छह मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित

करेगा ।"।

धारा 91 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 91 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1894 का 1 2013 का 30

(ii) "तीन मास"शब्दों के स्थान पर, "एक मास"शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 धारा 32" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 77 या धारा 78"शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1894 का 1 2013 का 30

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 77 या धारा 78" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1894 का 1 2013 का 30

(ii) "उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड"शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्ति से संबंधित भाग को प्रास्थगन में रखा जाएगा, यदि बोर्ड"शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कलेक्टर संबंधित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् बोर्ड को आवेदन करने की तारीख से एक मास के भीतर आदेश करेगा ।"।

धारा 100 का संशोधन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 100 में, "सर्वेक्षण आयुक्त"शब्दों के स्थान पर, "कलेक्टर" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 101 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 101 के पार्श्व शीर्ष और उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर, "सर्वेक्षण आयुक्त"शब्दों के स्थान पर, "कलेक्टर"शब्द रखा जाएगा ।

धारा 104 का लोप ।

40. मूल अधिनियम की धारा 104 का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 107, धारा 108 और धारा 108क का लोप ।

41. मूल अधिनियम की धारा 107, धारा 108 और धारा 108क का लोप किया जाएगा ।

धारा 108ख का अंत:स्थापन ।

42. मूल अधिनियम की यथा लोपित धारा 108क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

"108ख. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना

सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के खंड (टक) के अधीन वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखाओं, लेखापरीक्षा और अन्य ब्यौरों और खंड (v) के खंड (iv) के अधीन विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के भरण-पोषण के लिए संदाय की रीति के लिए वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली ;

(ख) धारा 3ख की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन अन्य विशिष्टियां ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2क) के अधीन वह रीति, जिसमें वक्फ के ब्यौरे अपलोड किए जाएंगे ;

(घ) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन अन्य विशिष्टियां ;

(ङ) वह रीति, जिसमें धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड अक्फ रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा ;

(च) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अक्फ रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(छ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लेखा विवरणों का प्ररूप और रीति तथा विशिष्टियां ;

(ज) धारा 47 की उपधारा (2क) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रकाशित करने की रीति ;

(झ) धारा 48 की उपधारा (2क) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियों और आदेशों को प्रकाशित करने की रीति ;

(ञ) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

धारा 109 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ik) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (vik) और खंड (vikh) में, "धारा 31"शब्द और अंकों, उन दोनों

स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "धारा 29"शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (xviii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xviiiक) धारा 69 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन आक्षेप आमंत्रित करने के लिए नोटिस देने की रीति ;"।

धारा 110 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वक्फ अधिनियम, 1955, ओक़ाफ़ के बेहतर प्रशासन और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान, यह महसूस किया गया कि अधिनियम ओक़ाफ़ के प्रशासन में सुधार करने में प्रभावी साबित नहीं हुआ है ।

2. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और वक्फ और केंद्रीय वक्फ परिषद् पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्य पणधारियों के साथ विस्तृत परामर्श करने के पश्चात् 2013 में अधिनियम में एक व्यापक संशोधन किए गए थें । संशोधनों के बावजूद, यह देखा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों, रजिस्ट्रीकरण और वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, अतिक्रमण हटाने, जिसके अंतर्गत स्वयं "वक्फ" की परिभाषा भी है, से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अधिनियम में अभी भी और सुधार की आवश्यकता है ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कमियों को दूर करने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता में अभिवृद्धि के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यक महसूस की गई है । इसलिए, संसद में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जो इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने और वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास के आशयित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) वक्फ अधिनियम, 1955 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करना ;

(ख) "वक्फ" को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कि किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ, जो कम से कम पांच वर्ष इस्लाम की साधना कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वक्फ-अल-औलाद का सृजन महिला के उत्तराधिकार अधिकारों का प्रत्याख्यान नहीं करे ;

(घ) "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से संबंधित उपबंधों का लोप ;

(ङ) वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर की पंक्ति से अन्यून किसी अन्य अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त के कृत्य प्रदान करना ;

(च) केंद्रीय वक्फ परिषद् और राज्य वक्फ बोर्डों और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बृहत् आधार पर संरचना का उपबंध करना ;

(छ) बोहरा और आगाखानियों के लिए पृथक् ओक़ाफ़ बोर्ड की स्थापना का

उपबंध करना ;

(ज) शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और मुस्लिम समुदायों के मध्य अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करना ;

(झ) केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के रजिस्ट्रीकरण की रीति को सुव्यवस्थित करना ;

(ञ) किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में अभिलिखित करने से पूर्व सभी संबद्ध पक्षकारों को सम्यक् सूचना के साथ राजस्व विधियों के अनुसार नामांतरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया का उपबंध करना ;

(ट) यह विनिश्चित करने की बोर्ड की शक्ति, कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, से संबंधित धारा 40 का लोप करना ;

(ठ) प्रत्येक वक्फ जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पांच हजार रुपए से कम नहीं है, मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान को सात प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत करना;

(ड) मुतवल्लियों द्वारा उनके क्रियाकलापों पर बेहतर नियंत्रण के लिए केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बोर्ड को वक्फ के खाते दाखिल करने का उपबंध करना ;

(ढ) दो सदस्यों के साथ अधिकरण की संरचना में सुधार करना और अधिकरण के आदेशों के विरूद्ध नब्बे दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील का उपबंध करना ;

(ण) धारा 107 का लोप करना, जिससे अधिनियम के अधीन किसी भी कार्रवाई पर परिसीमा अधिनियम, 1963 लागू हो सके; और निष्क्रांत वक्फ संपत्ति के बारे में विशेष उपबन्ध और अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना से संबंधित धारा 108 और 108क का लोप करना;

4. खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करता हैं।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2024

किरेन रीजीजू

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ से संबंधित धारा 1 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिनियम के संक्षिप्त नाम को "वक्फ अधिनियम, 1995" से संशोधित करके "एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" किया जा सके ।

विधेयक का खंड 3 परिभाषा से संबंधित धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 3 में कुछ परिभाषाओं का संशोधन और प्रतिस्थापन किया जा सके तथा कुछ नई परिभाषाओं का उपबंध किया जा सके, जैसे आगाखानी वक्फ, बोहरा वक्फ, कलक्टर, सरकारी संगठन और सरकारी संपत्ति आदि ।

विधेयक का खंड 4 वक्फ की कतिपय शर्तें, पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ का विवरण फाइल करना, वक्फ की सदोष घोषणा से संबंधित नई धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन करने के लिए है । यह वक्फ की कतिपय शर्तें, पोर्टल और डाटाबेस पर वक्फ का विवरण फाइल करना, वक्फ की सदोष घोषणा का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 सर्वेक्षण अधिकारियों के स्थान पर कलक्टर को बदलने के लिए वक्फ के प्रारंभिक सर्वेक्षण से संबंधित धारा 4 का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जिससे राज्य की राजस्व विधियों में प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए कलक्टर को शक्तियां दी जा सकें ।

विधेयक का खंड 6 ओकाफ़ की सूची के प्रकाशन से संबंधित धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जिससे पन्द्रह दिन के भीतर पोर्टल पर ओकाफ की अधिसूचित सूची और डाटाबेस अपलोड करने का उपबंध करने के लिए नई उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) अंत:स्थापित की जा सकें । यह उपधारा (3) का भी प्रतिस्थापन करता है, जो भू-अभिलेखों में दाखिल खारिज विनिश्चित करने के पूर्व 90 दिन की लोक सूचना का उपबंध करती है ।

विधेयक का खंड 7 ओकाफ़ से संबंधित विवादों से संबंधित धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "सुन्नी वक्फ" शब्दों के पश्चात् "आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" शब्द अंत:स्थापित किए जा सकें ; और "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 8 ओकाफ़ से संबंधित विवादों का अवधारण करने के लिए अधिकरण की शक्ति से संबंधित धारा 7 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें "आगाखानी वक्फ या बोहरा वक्फ" सम्मिलित किया जा सके ; और "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 9 केंद्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना और गठन से संबंधित धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जिससे गैर-मुस्लिम समुदाय से दो सदस्य सम्मिलित करने का उपबंध करने के लिए विस्तृत आधार वाली संरचना का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 10 निगमन से संबंधित 13 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यदि आवश्यक समझा जाए तो बोहरा और आगाखानी के लिए पृथक् ओकाफ़ बोर्ड स्थापित

करने का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 11 बोर्ड के गठन से संबंधित धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अन्य बातों के साथ गैर-मुस्लिम समुदाय से दो सदस्यों का उपबंध करके राज्य वक्फ बोर्ड की विस्तृत आधार वाली संरचना का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 12 धारा 16 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हताओं से संबंधित है, जिससे किसी अपराध के लिए निरर्हता के एक आधार के रूप में दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की दोषसिद्धि को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 13 धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो यह उपबंध करती है कि बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार हो ।

विधेयक का खंड 14 धारा 20क का लोप करने के लिए है, जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को हटाने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 15 धारा 23 का संशोधन करने के लिए है, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और उसकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से कम का नहीं हो तथा उसके मुस्लिम होने की अपेक्षा का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 16 धारा 32 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य से संबंधित है, जिससे उपधारा (2) के खंड (ङ) में स्पष्टीकरण और परंतुक का लोप किया जा सके, जिससे प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का उपबंध किया जा सके ; और "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप उपधारा (3) में किया जा सके ।

विधेयक का खंड 17 धारा 33 का संशोधन करने के लिए है, जो निरीक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की शक्तियों से संबंधित है, जिससे धारा 33 की उपधारा (4) के परंतुक में "और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जा सके ; था उपधारा (6) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 18 धारा 36 का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ के पश्चात् कोई वक्फ वक्फ विलेख के बिना निष्पादन के सृजित नहीं किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 19 धारा 37 का संशोधन करने के लिए है, जो ओकाफ़ रजिस्टर से संबंधित है, जो विहित रीति में बोर्ड द्वारा ओकाफ़ का रजिस्टर रखने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 धारा 40 का लोप करने के लिए है, जो यह विनिश्चय कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है, से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 21 धारा 46 का संशोधन करने के लिए है, जो ओकाफ़ के लेखा प्रस्तुत करने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 22 धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो ओकाफ़ के लेखा की

संपरीक्षा से संबंधित है, जिससे पचास हजार रुपए पद को एक लाख रुपए पद से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 23 धारा 48 का संशोधन करने के लिए है, जो संपरीक्षक की रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा आदेश का पारित किया जाने से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड की कार्यवाहियां और आदेश ऐसे रीति में प्रकाशित किए जाएंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

विधेयक का खंड 24 मुतवल्ली की निरर्हता से संबंधित एक नई धारा 50क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25 धारा 52 का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 51 के उल्लंघन में अंतरित वक्फ संपत्ति की वसूली से संबंधित है, जिससे "और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" पद का लोप उपधारा (4) में किया जा सके ।

विधेयक का खंड 26 धारा 52क का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपत्ति के अन्य संक्रामण के लिए शास्ति से संबंधित है, जो कठोर कारावास की बजाए कारावास का उपबंध करती है तथा अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होने से संबंधित उपधारा (2) और उपधारा (4) का लोप किया जा सके ।

विधेयक का खंड 27 धारा 55क का संशोधन करने के लिए है, जो अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ संपत्ति पर छोड़ी गई संपत्ति का व्ययन से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 28 धारा 61 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्तियों से संबंधित है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, बीस हजार रुपए की शास्ति का उपबंध करती है, जो मुतवल्लियों द्वारा कतिपय असफलता के लिए एक लाख रुपए तक हो सकेगी ।

विधेयक का खंड 29 धारा 64 का संशोधन करने के लिए है, जो मुतवल्ली को हटाने से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि युक्तियुक्त कारण के बिना दो वर्ष की बजाए एक वर्ष के लिए नियमित लेखे रखने में असफल होता है या लगातार दो वर्ष की बजाए एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में असफल होता है ; यह और उपबंध है कि मुतवल्ली को हटा दिया जाएगा यदि वह किसी ऐसे संगम का सदस्य है, जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन विधिविरुद्ध घोषित किया गया है ; तथा "ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 30 धारा 65 का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ ओक़ाफ़ का बोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह मास के भीतर सीधे प्रबंध ग्रहण किए जाने की अवधारणा से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 31 धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रबन्ध समिति का पर्यवेक्षण और अतिष्ठित किए जाने से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा ; "और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा" शब्दों का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 32 धारा 69 का संशोधन करने के लिए है, जो वक्फ के प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित है, जिससे उपधारा (3) का लोप किया जा सके तथा उपधारा (4) में एक परंतुक अंत:स्थापित किया जा सके कि इस उपधारा के अधीन

ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति तथा जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए लिखित नोटिस नहीं दिया जाता है ।

विधेयक का खंड 33 धारा 72 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान से संबंधित है, जिसमें सात प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत अंशदान किया गया है ।

विधेयक का खंड 34 धारा 73 का संशोधन करने के लिए है, जो बैंकों या अन्य व्यक्ति को संदाय करने का निदेश देने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति से संबंधित है, तथा "ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा" शब्दों का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 35 धारा 83 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिकरणों, आदि का गठन से संबंधित है, जिससे अधिकरण के गठन को उपांतरित किया जा सके तथा यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई अधिकरण नहीं है या अधिकरण कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई व्यथित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ; तथा यह और उपबंध किया जा सके कि सदस्य का अनुपस्थिति की दशा में, पीठ का अध्यक्ष अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा । यह भी उपबंध है कि प्रस्तावित विधान के प्रवर्तन के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष और इसके सदस्यों के पद की अवधि की समाप्ति तक ऐसे कृत्य करना जारी रखेगा । यह भी उपबंध है कि अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगा । यह भी उपबंध है कि अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 36 धारा 84 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों के शीघ्रता से किए जाने और पक्षकारों को अपने विनिश्चय की प्रतियों के दिए जाने से संबंधित है । यह उपबंध करता है कि यदि मामला छह मास के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, तो अधिकरण लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए कि क्यों छह मास की उक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित नहीं किया गया था, छह मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर मामला विनिश्चित करेगा ।

विधेयक का खंड 37 धारा 91 का संशोधन करने के लिए है, जो 1894 के अधिनियम । के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित है, जिससे भूमि अर्जन अधिनियम के निर्देश को "भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013" से प्रतिस्थापित किया जा सके ; तथा "तीन मास" की अवधि को "एक मास" की अवधि से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 38 धारा 100 का संशोधन करने के लिए है, जो सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण से संबंधित है, जिससे इसके विस्तार के भीतर सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर, कलेक्टर को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 39 धारा 101 का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक समझे जाने से संबंधित है, जिससे इसके विस्तार

के भीतर सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर, कलेक्टर को सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 40 धारा 104 का लोप करने के लिए है, जो उन व्यक्तियों द्वारा, जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, उनके द्वारा दी गई या दान की गई सम्पति को अधिनियम के लागू होने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 41 धारा 107, धारा 108 और धारा 108क का लोप करने के लिए है, जो वक्फ संपति की वापसी के लिए 1963 के अधिनियम 36 का लागू न होना ; निष्क्रांत वक्फ संपति के बारे में विशेष उपबन्ध ; अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होने से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 42 एक नई धारा 108क का अंत:स्थापन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 43 धारा 109 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 44 धारा 110 का संशोधन करने के लिए है, जो विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाए तो भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई वित्तीय व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 41 एक नई धारा 108क का अंत:स्थापन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है । वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं, अन्य बातों के साथ—(क) धारा 3 के खंड (टक) के अधीन वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रीकरण, लेखों, संपरीक्षा और अन्य ब्यौरों के लिए वक्फ आस्ति प्रबंधन प्रणाली तथा खंड (द) के उपखंड (iv) के अधीन विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ के भरण-पोषण के लिए संदायों की रीति ; (ख) धारा 3ख की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन कोई अन्य विशिष्टियां ; (ग) वह रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (2क) के अधीन वक्फ के ब्यौरे अपलोड किए जाने हैं ; (घ) धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य विशिष्टियां ; (ङ) वह रीति, जिसमें बोर्ड धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन औकाफ का रजिस्टर रखेगा ; (च) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन औकाफ के रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य विशिष्टियां ; (छ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन लेखों के विवरण का प्ररूप और रीति तथा विशिष्टियां ; (ज) धारा 47 की उपधारा (2क) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करने की रीति ; (झ) धारा 48 की उपधारा (2क) के अधीन बोर्ड की कार्यवाहियों और आदेशों के प्रकाशन की रीति ; और (ञ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जाए, से संबंधित है ।

2. अधिनियम की धारा 108क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ अधिनियम, 1995 है ।

* * * * * *

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

* * * * * *

(झ) "मुतवल्ली" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मौखिक रूप से अथवा किसी ऐसे विलेख या लिखत के अधीन जिसके द्वारा कोई वक्फ सृष्ट किया गया है अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो किसी रूढ़ि के आधार पर किसी वक्फ का मुतवल्ली है या जो नायब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर, सज्जदानशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्तव्यों का पालन करने के लिए मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति, समिति या निगम है, जो तत्समय किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति का प्रबंध या प्रशासन कर रहा है :

परन्तु किसी समिति या निगम के किसी सदस्य के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुतवल्ली है जब तक कि ऐसा सदस्य ऐसी किसी समिति या निगम का पदाधिकारी नहीं है :

परंतु यह और कि "मुतवल्ली" भारत का नागरिक होगा और ऐसी अन्य अर्हताएं पूरी करेगा, जो विहित की जाएं :

परंतु यह भी कि यदि वक्फ में कोई अर्हताएं विनिर्दिष्ट की हैं तो ऐसी अर्हताएं, उन नियमों में उपबंधित की जा सकेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं ;

* * * * * *

(ठ) "विहित" से अध्याय 3 के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(त) "सर्वेक्षण आयुक्त" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त या सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त है ;

* * * * * *

(द) "वक्फ" से किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है :—

(i) उपयोगकर्ता द्वारा कोई वक्फ किन्तु ऐसे वक्फ का केवल इस कारण वक्फ होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि उसका उपयोग करने वाला समाप्त हो गया है चाहे ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो ;

* * * * * *

(iv) वक्फ-अलल-औलाद वहां तक जहां तक कि संपत्ति का समर्पण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र, धार्मिक या पूर्त माना गया है, परंतु जब कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है तो वक्फ की आय शिक्षा, विकास, कल्याण और मुस्लिम विधि द्वारा यथा मान्यताप्राप्त ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च की जाएगी,

और "वाक़िफ़" से ऐसा समर्पण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

* * * * * *

अध्याय 2

ओक़ाफ़ का सर्वेक्षण

ओक़ाफ़ का प्रारंभिक सर्वेक्षण ।

4. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त और इतने अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त या सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त कर सकेगी जितने राज्य में ओक़ाफ़ का सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

(1क) प्रत्येक राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची रखेगी और ओक़ाफ़ का सर्वेक्षण, यदि ऐसा सर्वेक्षण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ से पूर्व नहीं किया गया था, तो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि से भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां वक्फ का कोई सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है, वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर ओक़ाफ़ के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किया जाएगा ।

(2) सभी अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त और सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन, वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे ।

(3) सर्वेक्षण आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में या उसके किसी भाग में विद्यमान वक्फ की बाबत अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) राज्य में ओक़ाफ़ की संख्या जिसमें शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ अलग-अलग दर्शित किए जाएंगे ;

(ख) प्रत्येक वक्फ का स्वरूप और उद्देश्य ;

(ग) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट संपत्ति की सकल आय ;

(घ) प्रत्येक वक्फ की बाबत देय भू-राजस्व, उपकरों, रेटों और करों की रकम ;

(ङ) प्रत्येक वक्फ की आय की वसूली करने में उपगत व्यय तथा मुतवल्ली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक ; और

(च) प्रत्येक वक्फ के संबंध में ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं ।

(4) सर्वेक्षण आयुक्त को, कोई जांच करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण किए जाने और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ;

(घ) किसी साक्षी या लेखाओं की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालना ;

(ङ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करना ;

(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(5) यदि, ऐसी किसी जांच के दौरान, इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कोई विशिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ के और वक्फ विलेख में उसके स्वरूप के बारे में स्पष्ट संकेत है तो विवाद का विनिश्चय ऐसे विलेख के आधार पर किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य में वक्फ संपत्तियों का द्वितीय या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण करने के लिए निदेश दे सकेगी तथा उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध ऐसे सर्वेक्षण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सर्वेक्षण को लागू होते हैं :

परन्तु ऐसा कोई द्वितीय या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस तारीख से, जिसकी ठीक पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के संबंध में उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, दस वर्ष] की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है :

परन्तु यह और कि पहले से अधिसूचित वक्फ सम्पत्तियों की बाद के सर्वेक्षण में पुन: समीक्षा नहीं की जाएगी सिवाय उस मामले में जहां ऐसी सम्पत्ति की स्थिति किसी विधि के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित हो गई है ।

ओक़ाफ़ की सूची का प्रकाशन ।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, उसकी प्रति बोर्ड को भेजेगी ।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन उसे भेजी गई रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और उस राज्य के सुन्नी ओक़ाफ़ या शिया ओक़ाफ़ की सूची राजपत्र में प्रकाशन के लिए छह मास की अवधि के भीतर उसे सरकार को वापस भेजेगा जिससे यह रिपोर्ट संबंधित है, चाहे वे

इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान हों या उसके पश्चात् अस्तित्व में आये हों और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

(3) राजस्व प्राधिकारी—

(i) भूमि अभिलेखों को अद्यतन करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची सम्मिलित करेंगे ; और

(ii) भूमि अभिलेखों में नामांतरण विनिश्चित करते समय उपधारा (2) में निर्दिष्ट ओक़ाफ़ की सूची पर विचार करेंगे ।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन समय-समय पर प्रकाशित सूचियों का अभिलेख रखेगी ।

ओक़ाफ़ से संबंधित विवाद ।

6. (1) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट संपत्ति, जो ओक़ाफ़ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है, वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ, शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली अथवा व्यथित कोई व्यक्ति, उस प्रश्न के विनिश्चय के लिए अधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और उस विषय की बाबत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु अधिकरण द्वारा बोर्ड कोई ऐसा वाद, ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि धारा 4 की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में दूसरे या पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण में अधिसूचित ऐसी संपत्तियों की बाबत अधिकरण के समक्ष कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

(3) सर्वेक्षण आयुक्त को, उपधारा (1) के अधीन किसी वाद का पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं होगी ।

* * * * * *

ओक़ाफ़ से संबंधित विवादों का अवधारण करने की अधिकरण की शक्ति ।

7. (1) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट संपत्ति, जो ओक़ाफ़ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है, वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली अथवा धारा 5 के अधीन ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रश्न के विनिश्चय के लिए ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु—

(क) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् प्रकाशित ओक़ाफ़ की सूची की दशा में, कोई ऐसा आवेदन ओक़ाफ़ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ; और

(ख) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक

पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित ओक़ाफ़ की सूची की दशा में, अधिकरण द्वारा ऐसा आवेदन ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी प्रश्न की, ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थित किसी वाद में किसी सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई कर ली गई है और उसका अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया गया है, वहां अधिकरण ऐसे प्रश्न पर नए सिरे से विचार नहीं करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 3

केन्द्रीय वक्फ परिषद्

केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना और गठन ।

9. (1) * * * * *

(2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) ओक़ाफ़ का भारसाधक संघ का मंत्री—पदेन अध्यक्ष,

(ख) निम्नलिखित सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मुसलमानों में से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) तीन व्यक्ति, जो अखिल भारतीय स्वरूप और राष्ट्रीय महत्व वाले मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ii) राष्ट्रीय ख्याति वाले चार व्यक्ति, जिनमें से एक-एक व्यक्ति प्रशासन या प्रबंध, वितीय प्रबंध, इंजीनियरी या वास्तुविद् और आयुर्विज्ञान के क्षेत्रों से होगा ;

(iii) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से होगा ;

(iv) तीन बोर्डों के अध्यक्ष, चकानुक्रम से ;

(v) दो व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों ;

(vi) राष्ट्रीय ख्याति वाला एक अधिवक्ता ;

(vii) एक व्यक्ति, जो ऐसे वक्फ का जिसकी सकल वार्षिक आय पांच लाख रुपए और उससे अधिक है, प्रतिनिधित्व करेगा ;

(viii) तीन व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं :

परंतु उपखंड (i) से उपखंड (viii) के अधीन नियुक्त किए गए सदस्यों में से कम से कम सदस्य स्त्रियां होंगी ।

* * * * * *

अध्याय 4

बोर्डों की स्थापना और उनके कृत्य

निगमन ।

13. (1) * * * * *

(2क) जहां वक्फ बोर्ड धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित किय जाता है, वहां शिया वक्फ की दशा में, शिया मुस्लिम सदस्य होंगे और सुन्नी वक्फ की दशा में,

सुन्नी मुस्लिम सदस्य होंगे ।

* * * * * *

बोर्ड की संरचना ।

14. (1) किसी राज्य और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्यक्षेत्र का बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख) एक और अधिक से अधिक दो सदस्य जो राज्य सरकार ठीक समझे, जिनका निर्वाचन ऐसे प्रत्येक निर्वाचकगण से किया जाएगा, जिसमें—

(i) यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के मुस्लिम संसद् सदस्य,

(ii) राज्य विधान-मंडल के मुस्लिम सदस्य,

(iii) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्य :

परंतु यदि किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधिज्ञ परिषद् का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किसी ज्येष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता को नामनिर्देशित कर सकेगा, और

(iv) ऐसे ओक़ाफ़ के, जिनकी वार्षिक आय एक लाख या उससे अधिक है, मुतवल्ली, होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपखंड (i) से उपखंड (iv) में वर्णित प्रवर्गों के सदस्य प्रत्येक प्रवर्ग के लिए गठित निर्वाचकगण से निर्वाचित होंगे ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषत किया जाता है कि यदि कोई मुस्लिम सदस्य खंड (ख) के उपखंड (i) में यथानिर्दिष्ट राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संसद् का सदस्य नहीं रहता है या खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो उस सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस तारीख से, जिससे वह, यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से संसद् का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहा है, यथास्थिति, राज्य या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए बोर्ड के सदस्य का पद रिक्त कर दिया है ।

(ग) मुस्लिमों में से ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास नगर योजना या कारबार प्रबंधन, सामाजिक कार्य, वित्त या राजस्व, कृषि और विकास क्रियाकलापों में वृत्तिक अनुभव है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(घ) मुस्लिमों में से एक-एक व्यक्ति, जो शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म विद्या के मान्यताप्राप्त विद्वानों में से होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ङ) मुस्लिमों में से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार के संयुक्त

सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति के न हों ।

(1क) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई मंत्री बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, बोर्ड पांच से अन्यून और सात से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) या खंड (ग) से खंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि बोर्ड में नियुक्त किए गए सदस्यों में कम से कम दो सदस्य स्त्रियां होंगी :

परंतु यह भी कि ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां मुतवल्ली पद्धति विद्यमान है, वहां एक मुतवल्ली बोर्ड के सदस्य के रूप में होगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाए :

परन्तु जहां, यथास्थिति, संसद्, राज्य विधान-मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्यों की संख्या केवल एक है वहां ऐसे मुस्लिम सदस्य को बोर्ड में निर्वाचित घोषित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है वहां निर्वाचकगण का गठन, यथास्थिति, संसद्, राज्य विधान-मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद् के पूर्व मुस्लिम सदस्यों से होगा ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग के लिए निर्वाचकगण का गठन करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझे, बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी ।

(4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सभी समयों पर उपधारा (3) के अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों से अधिक रहेगी ।

* * * * * *

(6) बोर्ड के शिया सदस्यों या सुन्नी सदस्यों की संख्या का अवधारण करने में, राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया ओक़ाफ़ और सुन्नी ओक़ाफ़ की संख्या और महत्व को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति, जहां तक हो सके, ऐसे अवधारण के अनुसार की जाएगी ।

* * * * * *

(8) जब कभी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाए, इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से एक को बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे ।

* * * * * *

बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हताएं ।

16. कोई व्यक्ति, बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित होगा :—

* * * * * *

(घ) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है, अथवा उसे एसे अपराध के लिए पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया गया है ;

* * * * * *

बोर्ड के अधिवेशन ।

17. (1) बोर्ड का कार्य करने के लिए उसका अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

* * * * * *

अविश्वास मत द्वारा अध्यक्ष का हटाया जाना ।

20क. धारा 20 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के अध्यक्ष को अविश्वास मत द्वारा निम्नलिखित रीति से हटाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में विश्वास या अविश्वास मत अभिव्यक्त करने वाला कोई संकल्प विहित रीति के सिवाय और तब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक अध्यक्ष के रूप में उसके निर्वाचन की तारीख के पश्चात् बारह मास व्यपगत न हो गए हों और उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ;

(ख) अविश्वास की सूचना, उन आधारों का, जिन पर ऐसा प्रस्ताव लाया जाना प्रस्तावित है, स्पष्ट रूप से कथन करते हुए राज्य सरकार को संबोधित की जाएगी और उस पर बोर्ड के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(ग) अविश्वास की सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य, उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के शपथ-पत्र के साथ राज्य सरकार को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रस्तुत करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर असली हैं और ये हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना की अंतर्वस्तु को सुनने या पढ़ने के पश्चात् किए गए हैं ;

(घ) इसमें ऊपर यथा उपबंधित अविश्वास की सूचना की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, ऐसा समय, तारीख और स्थान नियत करेगी, जो प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के प्रयोजन के लिए बैठक आयोजित करने हेतु उपयुक्त समझा जाए :

परंतु ऐसी बैठक के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी ;

(ङ) खंड (घ) के अधीन बैठक की सूचना में यह भी उपबंधित होगा कि अविश्वास प्रस्ताव सम्यक् रूप से पारित किए जाने की दशा में, या, यथास्थिति, नए अध्यक्ष का निर्वाचन भी उसी बैठक में किया जाएगा ;

(च) राज्य सरकार, उस बैठक के, जिसमें अविश्वास के संकल्प पर विचार किया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को (उस विभाग के, जो बोर्ड के अधीक्षण और प्रशासन से संबद्ध है, किसी अधिकारी से भिन्न) भी नामनिर्देशित करेगी ;

(छ) बोर्ड की ऐसी बैठक की गणपूर्ति बोर्ड के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से

होगी ;

(ज) अविश्वास के संकल्प को पारित किया गया समझा जाएगा, यदि उसे उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है ;

(झ) यदि अविश्वास के किसी संकल्प को पारित कर दिया जाता है तो, अध्यक्ष तुरंत पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसके उत्तरवर्ती द्वारा, जिसे उसी बैठक में एक अन्य संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, पद ग्रहण किया जाएगा ;

(ञ) नए अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन खंड (झ) के अधीन, खंड (च) में निर्दिष्ट उक्त पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन, बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(अ) अध्यक्ष, बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा ;

(आ) अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन का प्रस्ताव और समर्थन बैठक में ही किया जाएगा और नाम वापस लिए जाने के पश्चात् निर्वाचन, यदि कोई हो, गुप्त मतदान की पद्धति द्वारा होगा ;

(इ) निर्वाचन बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर रहने की दशा में, मामले का विनिश्चय लाटरी डाल कर किया जाएगा ; और

(ई) बैठक की कार्यवाहियों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(ट) खंड (ज) के अधीन निर्वाचित नया अध्यक्ष अविश्वास के संकल्प द्वारा हटाए गए अध्यक्ष की शेष पदावधि तक ही पद धारण करेगा ; और

(ठ) यदि अविश्वास का संकल्प पारित करने संबंधी प्रस्ताव बैठक में गणपूर्ति की कमी या अपेक्षित बहुमत के न होने के कारण असफल हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए कोई पश्चात्वर्ती बैठक पूर्व बैठक की तारीख से छह मास के भीतर नहीं की जाएगी ।

* * * * * *

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति और उसकी पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ।

23. (1) बोर्ड का एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो मुस्लिम होगा और वह बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो नामों के पैनल से, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और उस पंक्ति के किसी मुस्लिम अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में समकक्ष पंक्ति के किसी मुस्लिम अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

* * * * * *

बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य ।

32. (1) * * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ङ) यह निदेश देना कि—

(i) किसी वक्फ की अधिशेष आय का उस वक्फ के उद्देश्यों से संगत रूप में उपयोग किया जाए ;

(ii) ऐसे किसी वक्फ की, जिसके उद्देश्य किसी लिखत से स्पष्ट नहीं हैं, आय का किस रीति से उपयोग किया जाए ;

(iii) किसी ऐसी दशा में, जिसमें किसी वक्फ का कोई उद्देश्य अस्तित्व में नहीं रह गया है अथवा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वक्फ की आय के इतने भाग का जितना पहले उस उद्देश्य के लिए उपयोजित किया जाता था, किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जो समरूप या निकटतम समरूप हो या मूल उद्देश्य के लिए या गरीबों के फायदे के लिए या मुस्लिम समुदाय में ज्ञान या विद्या की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए उपयोजन किया जाए :

परन्तु इस खंड के अधीन कोई निदेश, प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग,—

(i) सुन्नी वक्फ की दशा में, बोर्ड के सुन्नी सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा ; और

(ii) शिया वक्फ की दशा में, बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा :

परन्तु जहां बोर्ड में सुन्नी या शिया सदस्यों की संख्या को और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को यह प्रतीत हो कि उसकी शक्ति का प्रयोग ऐसे सदस्यों द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए वहां वह ऐसे अन्य, यथास्थिति, सुन्नी या शिया मुसलमानों को, जिन्हें वह ठीक समझे, इस खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड के अस्थायी सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा ;

* * * * * *

(3) जहां बोर्ड ने उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रबंध की कोई स्कीम परिनिर्धारित की है अथवा उसके खण्ड (ङ) के अधीन कोई निदेश दिया है वहां वक्फ में हितबद्ध या ऐसे परिनिर्धारण या निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति परिनिर्धारण या निदेश को अपास्त कराने के लिए अधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

* * * * * *

निरीक्षण करने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की शक्तियां ।

33. (1) * * * * *

(4) ऐसे आदेश से व्यथित कोई मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई अपील, अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण की जाएगी जब अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास वह रकम, जो उपधारा (3) के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदेय के रूप में अवधारित की गई है, जमा करा दी हो और अधिकरण को, अपील का निपटारा लंबित रहने तक, उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा

किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी ।

* * * * * *

(6) उपधारा (5) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

* * * * * *

अध्याय 5

ओक़ाफ़ का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण ।

36. (1) * * * * *

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, अपबंध करे और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

* * * * * *

(च) कोई अन्य विशिष्टियां जो बोर्ड, विनियमों द्वारा, उपबंधित करे ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ वक्फ विलेख की एक प्रति होगी अथवा यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती है तो उसमें वक्फ के उद्गम, उसके स्वरूप और उसके उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि वे आवेदक को ज्ञात हैं ।

* * * * * *

(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड वक्फ के रजिस्ट्रीकरण से पहले आवेदन के असली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किन्हीं विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और जब आवेदन वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ड वक्फ को रजिस्टर करने से पहले आवेदन की सूचना वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि वह सुनवाई चाहता है तो उसको सुनेगा ।

(8) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व सृष्ट ओक़ाफ़ की दशा में, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्रारंभ से तीन मास के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् सृष्ट ओक़ाफ़ की दशा में वक्फ के सृष्ट किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी वक्फ के सृष्ट किए जाने के समय कोई बोर्ड नहीं है वहां ऐसा आवेदन बोर्ड की स्थापना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा ।

ओक़ाफ़ का रजिस्टर ।

37. (1) बोर्ड ओक़ाफ़ का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ की बाबत वक्फ विलेखों की प्रतियां, जब उपलब्ध हों, और निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

* * * * * *

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं ।

* * * * * *

(3) भू-अभिलेख कार्यालय, उपधारा (2) में यथा उल्लिखित ब्यौरे प्राप्त करने पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, या तो भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा या धारा 36 के अधीन वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां बोर्ड को संसूचित करेगा ।

* * * * * *

यह विनिश्चय कि क्या कोई संपति वक्फ संपति है ।

40. (1) बोर्ड किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह वक्फ संपत्ति है, स्वयं जानकारी संगृहीत कर सकेगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रश्न पर बोर्ड का विनिश्चय जब तक कि उसको अधिकरण द्वारा द्वारा प्रतिसंहृत या उपांतरित न कर दिया जाए, अंतिम होगा ।

1882 का 2
1860 का 21

(3) जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अनुसरण में अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या सोसाइटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है वहां बोर्ड, ऐसे अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति के बारे में जांच कर सकेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात् बोर्ड का समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो वह, यथास्थिति, न्यास या सोसाइटी से मांग कर सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के अधीन वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराए या इस बात का कारण बताए कि ऐसी संपत्ति को इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत क्यों नहीं किया जाए :

परन्तु ऐसे सभी मामलों में, इस उपधारा के अधीन की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना, उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके द्वारा न्यास या सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है ।

(4) बोर्ड, ऐसे हेतुक पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् जो उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में दर्शित किया जाए, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे, और बोर्ड द्वारा इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा जब तक कि वह किसी अधिकरण द्वारा प्रतिसंहृत या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है ।

* * * * * *

ओक़ाफ़ के लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना ।

46. (1) * * * * *

(2) जिस तारीख को धारा 36 में निर्दिष्ट आवेदन किया गया है उसकी ठीक अगली जुलाई के प्रथम दिन के पहले, और तत्पश्चात् प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम दिन के पहले, प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली, यथास्थिति, मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि के दौरान अथवा उक्त अवधि के उस भाग के दौरान जिसके दौरान इस अधिनियम के उपबंध वक्फ को लागू हैं, वक्फ की ओर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाला, जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, एक पूरा और सही लेखा विवरण तैयार करेगा और बोर्ड को देगा :

परन्तु उस तारीख में जिसको वार्षिक लेखा बन्द किए जाने हैं, बोर्ड के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।

ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा ।

47. (1) धारा 46 के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किए गए ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा और जांच निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे वक्फ की दशा में जिसकी कोई आय नहीं है या जिसकी शुद्ध

वार्षिक आय पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, लेखाओं के विवरण का प्रस्तुत किया जाना धारा 46 के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा तथा ऐसे दो प्रतिशत ओक़ाफ़ के लेखाओं की संपरीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी ;

(ख) ऐसे वक्फ के, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पचास हजार रुपए से अधिक है, लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष या ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो राज्य सरकर द्वारा तैयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल में से बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा संपरीक्षकों का ऐसा पैनल तैयार करते समय राज्य सरकार संपरीक्षकों का पारिश्रमिक मान विनिर्दिष्ट करेगी ;

(ग) राज्य सरकार बोर्ड को सूचित करते हुए किसी भी समय, किसी वक्फ के लेखा की संपरीक्षा राज्य स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा अथवा उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य अधिकारी द्वारा करा सकेगी ।

* * * * * *

(3) वक्फ के लेखाओं की संपरीक्षा का खर्च उस वक्फ की निधि में से दिया जाएगा :

परन्तु ऐसे ओक़ाफ़ के संबंध में, जिनकी शुद्ध वार्षिक आय पचास हजार रुपए से अधिक है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पैनल में से नियुक्त संपरीक्षकों का पारिश्रमिक, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक मान के अनुसार दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी वक्फ के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य स्थानीय निधि परीक्षक या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त अभिहित किया है, की जाती है वहां ऐसी संपरीक्षा का खर्च ऐसे वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय के डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसा खर्च संबंधित वक्फ की निधि में से पूरा किया जाएगा ।

संपरीक्षक की रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा आदेश का पारित किया जाना ।

48. (1) * * * * *

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आवेदन अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण किया जाएगा जब धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षक द्वारा प्रमाणित रकम पहले अधिकरण में निक्षिप्त कर दी गई हो और अधिकरण को उपधारा (1) के अधिन बोर्ड द्वारा किए गए आदेश का प्रवर्तन रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

* * * * * *

धारा 51 के उल्लघंन में अंतरित की गई वक्फ संपत्ति का वापस लिया जाना ।

52. (1) * * * * *

(4) उपधारा (2) के अधीन कलक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति स्थित है और ऐसी अपील पर उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

* * * * * *

बोर्ड की मंजूरी के बिना वक्फ संपति के अन्यसंक्रामण के लिए शास्ति ।

52क. (1) जो कोई, ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का, जो वक्फ संपत्ति है, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी प्रकार की किसी रीति में, चाहे स्थायी रूप से अस्थायी रूप से, अन्य संक्रामण करेगा या क्रय करेगा, या कब्जा लेगा, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा :

परंतु इस प्रकार अन्यसंक्रामित वक्फ संपति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके लिए किसी प्रतिकर के बिना बोर्ड में निहित हो जाएगी ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

* * * * * *

(4) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

* * * * * *

अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ संपति पर छोड़ी गई संपति का व्ययन ।

55क. (1) * * * * *

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई संपति विक्रीत की जाती है, वहां हटाने, विक्रय करने से संबंधित व्ययों और ऐसे अन्य व्ययों किराए, नुकसानी या खर्चों के बकायों के मद्दे राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगमित प्राधिकरण को शोध्य रकम, यदि कोई हो, की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम ऐसे व्यक्ति को संदत किए जाएंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसका हकदार प्रतीत हो :

परंतु जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उस व्यक्ति के बारे में जिसको अतिशेष रकम संदेय है या उसका प्रभाजन करने के बारे में विनिश्चय करने में असमर्थ है तो वह ऐसा विवाद अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

* * * * * *

शास्तियां ।

61. (1) यदि कोई मुतवल्ली—

* * * * * *

(ङ) बोर्ड या अधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने पर किसी वक्फ संपति के कब्जे का परिदान करने में ;

(च) बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित करने में ;

* * * * * *

असफल रहेगा तो वह, जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का यह समाधान नहीं कर देता है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण था, जुर्माने से, जो खंड (क) से खंड (घ) के अननुपालन के लिए दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और खंड (ङ) से खंड (ज) के अननुपालन की दशा में, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

मुतवल्ली का हटाया जाना ।

64. (1) किसी अन्य विधि या वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी मुतवल्ली को उसके पद से हटा सकेगा, यदि ऐसा मुतवल्ली—

* * * * * *

(छ) लगातार दो वर्ष तक ऐसे नियमित लेखाओं को रखने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, असफल रहा है अथवा लगातार दो वर्षों में वह वार्षिक लेखा विवरण देने में असफल रहा है जो धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित है ; अथवा

* * * * * *

(4) कोई मुतवल्ली, जो उपधारा (1) के खण्ड (ग) से खण्ड (झ) तक में से किसी खंड के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है, उस तारीख से जिसको उसे आदेश प्राप्त होता है, एक मास के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

* * * * * *

कुछ ओक़ाफ़ का बोर्ड द्वारा सीधे प्रबंध ग्रहण किया जाना ।

65. (1) * * * * *

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, बोर्ड ऐसे प्रत्येक वक्फ के संबंध में जो उसके सीधे प्रबंध के अधीन हो एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) उस वर्ष के, जिसकी रिपोर्ट दी जा रही है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की वक्फ की आय के ब्यौरे ;

(ख) वक्फ के प्रबंध को सुधारने और आय में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय ;

(ग) वह अवधि, जिसके दौरान वक्फ, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन रहा है और साथ ही उन कारणों का स्पष्टीकरण कि वक्फ के प्रबंध को वर्ष के दौरान मुतवल्ली या किसी प्रबंध समिति को सौंपा जाना क्यों संभव नहीं हुआ है ; और

(घ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

* * * * * *

प्रबन्ध समिति का पर्यवेक्षण और अतिष्ठित किया जाना ।

67. (1) * * * * *

(4) बोर्ड द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अधिकरण को, ऐसी अपील के लंबित रहने तक बोर्ड द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन का निलंबन करने की कोई शक्ति नहीं होगी ।

* * * * * *

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उपधारा (2) के अधीन किसी समिति को अतिष्ठित करने के बजाय उसके किसी सदस्य को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य ने उस रूप में अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है अथवा जानते हुए ऐसी ऐसी रीति से कार्य किया है जो वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, हटा सकेगा और किसी सदस्य के हटाए जाने के प्रत्येक ऐसे आदेश की उस पर तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी :

परन्तु सदस्य को हटाए जाने के लिए कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब

तक कि उसे प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करेन का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई सदस्य जो समिति की सदस्यता से अपने हटाए जाने के किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश को अपने पर तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और अधिकरण, अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, बोर्ड द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा और ऐसी अपील में अधिकरण द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा ।

* * * * * *

69. (1) * * * * *

वक्फ के प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह अंतिम होगा तथा मुतवल्ली पर और वक्फ में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील की सुनवाई करने के पश्चात् अधिकरण उस आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने की अधिकरण को कोई शक्ति नहीं होगी ।

(4) बोर्ड, किसी भी समय, आदेश द्वारा, चाहे वह स्कीम के प्रवर्तन में आने के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो, स्कीम को रद्द कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

बोर्ड का वित्त

बोर्ड को संदेय वार्षिक अंशदान ।

72. (1) प्रत्येक ऐसे वक्फ का मुतवल्ली, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय पांच हजार रुपए से कम नहीं है, बोर्ड को ऐसे बोर्ड द्वारा वक्फ को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष वक्फ द्वारा व्युत्पन्न शुद्ध वार्षिक आय में से, ऐसी वार्षिक आय के सात प्रतिशत से अनधिक इतना अंशदान करेगा, जो विहित किया जाए ।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध वार्षिक आय" से किसी वर्ष में वक्फ की सभी स्रोतों से सकल आय, जिसके अंतर्गत ऐसे नजराने और चढ़ावे हैं जो ओक़ाफ़ की संपत्ति में के अंशदानों की कोटि में नहीं आते हैं, अभिप्रेत हैं जैसे कि निम्नलिखित की कटौती करने के पश्चात् आएं, अर्थात् :—

(i) वक्फ द्वारा सरकार को संदत्त किया गया भू-राजस्व ;

(ii) वे रेट, उपकर और अनुज्ञप्ति फीसें, जो उसके द्वारा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त की गई हैं ;

(iii) वक्फ के फायदे के लिए मुतवल्ली द्वारा सीधे खेती के अधीन भूमि के संबंध में निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय, अर्थात् :—

(क) सिंचाई संकर्मों का अनुरक्षण या उनकी मरम्त, जिसके अंतर्गत सिंचाई की पूंजी लागत नहीं आएगी ;

(ख) बीज या पौध ;

(ग) खाद ;

(घ) कृषि औजारों का क्रय और अनुरक्षण ;

(ङ) खेती के लिए पशुओं का क्रय और अनुरक्षण ;

(च) हल चलाने, पानी देने, बुवाई करने, प्रतिरोपण करने, कटाई करने, गहराई करने और अन्य कृषि संक्रियाओं के लिए मजदूरी :

परंतु इस खंड के अधीन उपगत किसी व्यय के संबंध में कुल कटौती वक्फ की भूमियां से व्युत्पन्न आय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि पट्टे पर, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, दी गई वक्फ भूमि के संबंध में ऐसी कोई कटौती, चाहे वह बटाई हो या फसल में हिस्सा बांटना हो या उसका कोई अन्य नाम हो, अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(iv) किराए पर दिए गए भवनों की विविध मरम्मतों पर व्यय, जो उनसे व्युत्पन्न वार्षिक किराए के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो ;

(v) स्थावर संपत्ति के अथवा स्थावर संपत्ति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले अधिकारों के विक्रय आगम, यदि ऐसे आगमों का वक्फ के लिए आय उपार्जित करने के लिए पुन: विनिधान किया जाता है :

परन्तु प्राप्तियों की निम्नलिखित मदों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए आय नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) वसूल किए गए अग्रिम और निक्षेप तथा लिए गए या वसूल किए गए ऋण ;

(ख) कर्मचारियों, पट्टेदारों या ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति के रूप में किए गए निक्षेप और अन्य निक्षेप, यदि कोई हो ;

(ग) बैंकों से या विनिधानों के प्रत्याहरण ;

(घ) न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत किए गए खर्चों मद्धे वसूल की गई रकमें ;

(ङ) धार्मिक पुस्तकों के और प्रकाशनों के विक्रय आगम, जहां ऐसे विक्रय धर्म का प्रचार करने की दृष्टि से अलाभप्रद उद्यम के रूप में किए जाते हैं ;

(च) दाताओं द्वारा वक्फ की संपत्ति में के अंशदानों के रूप में नकदी या वस्तु रूप में दान या चढ़ावे :

परन्तु ऐसे दानों व चढ़ावों से प्रोद्भूत होने वाली आय पर ब्याज को, यदि कोई हो सकल वार्षिक आय की संगणना करने में हिसाब में लिया जाएगा ;

(छ) वक्फ द्वारा की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा के लिए और ऐसी सेवा

पर व्यय किए जाने के लिए नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ;

(ज) संपरीक्षा वसूलियां ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध वार्षिक आय का अवधारण करने में, किसी वक्फ द्वारा उसके लाभप्रद उपक्रमों से, यदि कोई हों, व्युत्पन्न शुद्ध लाभ को ही आय माना जाएगा तथा उसके अलाभप्रद उपक्रमों जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, दरिद्रालयों, अनाथालयों अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के संबंध में, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुदानों अथवा जनता से प्राप्त दानों अथवा शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों से संगृहीत फीसों को आय नहीं माना जाएगा ।

* * * * * *

(7) कोई मुतवल्ली, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा (6) के अधीन किए गए निर्धारण या पुनरीक्षण से व्यथित है, निर्धारण या विवरणी के पुनरीक्षण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा तथा बोर्ड, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस निर्धारण या विवरणी के पुनरीक्षण की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा ।

* * * * * *

बैंकों या अन्य व्यक्ति को संदाय करने का निदेश देने की मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति ।

73. (1) * * * * *

(3) कोई ऐसा बैंक या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई संदाय करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया है, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

* * * * * *

अध्याय 8

न्यायिक कार्यवाहियां

अधिकरणों, आदि का गठन ।

83. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी वक्फ या वक्फ संम्पत्ति या किसी अभिधारी की बेदखली से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए या ऐसी संपत्ति के पट्टाकर्ता या पट्टेदार के अधिकारों या बाध्यताओं का अवधारण करने के लिए उतने अधिकरण का गठन करेगी जितने वह ठीक समझे और ऐसे प्रत्येक अधिकरण की स्थानीय सीमाएं और अधिकारिता परिनिश्चित करेगी ।

(2) कोई मुतवल्ली, वक्फ में हितबद्ध व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश से या इसके अधीन बनाए गए नियमों से व्यथित है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है, उस समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अधिकरण को वक्फ से किसी संबंधित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

* * * * * *

(4) प्रत्येक अधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसा एक व्यक्ति, जो उपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य ;

(ग) ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य,

और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति नाम से या पदनाम से की जाएगी ।

(4क) पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें जिनके अन्तर्गत उन्हें संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

* * * * * *

(7) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा उस विनिश्चय का वही बल होगा, जो सिविल न्यायालय द्वारा की गई डिक्री का होता है ।

* * * * * *

(9) अधिकरण द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा, कोई अपील नहीं होगी :

परन्तु उच्च न्यायालय, स्वप्रेरणा से अथवा बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले से जिसका अधिकरण द्वारा अवधारण किया गया है, संबंधित अभिलेख ऐसे अवधारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा तथा ऐसे अवधारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा अथवा ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

अधिकरण द्वारा कार्यवाहियों का शीघ्रता से किया जाना और पक्षकारों को अपने विनिश्चय की प्रतियों का दिया जाना ।

84. जब कभी किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए अधिकरण को कोई किया जाता है, तब वह अपनी कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से करेगा और ऐसे मामले की सुनवाई की समाप्ति पर यथासाध्यशीघ्र, अपना विनिश्चय, लिखित रूप में, देगा और ऐसे विनिश्चय की प्रति विवाद के प्रत्येक पक्षकार को देगा ।

* * * * * *

1894 के अधिनियम 1 के अधीन कार्यवाहियां ।

91. (1) यदि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अथवा भूमि या अन्य संपत्ति के अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व, यदि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो ऐसे अर्जन की सूचना की तामील बोर्ड पर कलक्टर द्वारा की जाएगी तथा आगे की कार्यवाहियों को रोक दिया जाएगा जिससे कि बोर्ड ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर 1894 का 1

किसी समय कार्यवाही में पक्षकार के रूप में उपस्थित हो सके और अभिवचन कर सके ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंधों में, उनमें निर्दिष्ट किसी अन्य विधि के संबंध में, कलक्टर के प्रति निर्देश का, यदि कलक्टर, उस विधि के अधीन भूमि या अन्य संपत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर या अन्य रकम का अधिनिर्णय करने के लिए किसी ऐसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी नहीं है तो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन ऐसा अधिनिर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश है ।

* * * * * *

(3) जब बोर्ड, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन उपस्थित हुआ है तब भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कोई आदेश, बोर्ड को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

1894 का 1

(4) बोर्ड की सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित कोई आदेश, उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड, आदेश की अपने को जानकारी होने के एक मास के भीतर, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश किया था, इस निमित्त आवेदन करता है ।

* * * * * *

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

100. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सर्वेक्षण आयुक्त के अथवा इस अधिनियम के अधीन सम्यक्त: नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक समझा जाना ।

101. (1) सर्वेक्षण आयुक्त, बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक संपरीक्षक तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सम्यक्त: नियुक्त किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 45

* * * * * *

उन व्यक्तियों द्वारा, जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, कतिपय ओक़ाफ़ की सहायता के लिए दी गई या दान की गई सम्पति को अधिनियम का लागू होना ।

104. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई जंगम या स्थावर सम्पति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है, किसी ऐसे वक्फ की सहायता के लिए दी गई या दान की गई है जो—

(क) कोई मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह, खानागाह या मकबरा है ;

(ख) कोई मुस्लिम कब्रिस्तान है ;

(ग) कोई सराय या मुसाफिर खाना है,

तब ऐसी सम्पत्ति उस वक्फ में समाविष्ट समझी जाएगी और उसके संबंध में उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जिसे उस वक्फ के संबंध में की जाती है जिसमें वह इस प्रकार समाविष्ट है ।

* * * * * *

वक्फ संपत्ति की वापसी के लिए 1963 के अधिनियम 36 का लागू न होना ।

107. परिसीमा अधिनियम, 1963 की कोई बात वक्फ में समाविष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी हित के कब्जे के लिए किसी वाद को लागू नहीं होगी ।

निष्क्रांत वक्फ संपत्ति के बारे में विशेष उपबन्ध ।

108. इस अधिनियम के उपबन्ध, निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 2 के खंड (च) के अर्थ में किसी ऐसी निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में लागू होंगे और सदैव लागू हुए समझे जाएंगे, जो, उक्त अर्थ के अंतर्गत ऐसी निष्क्रांत संपत्ति होने के ठीक पूर्व, किसी वक्फ में समाविष्ट संपत्ति थी और विशिष्टतया, निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अधीन अभिरक्षक के अनुदेशों के अनुसरण में, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बोर्ड का किसी ऐसी संपत्ति का (चाहे किसी दस्तावेज के अंतरण द्वारा या किसी अन्य रीति से और चाहे साधारणतया या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए) सौंपा जाना, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रभाव रखेगा और सदैव प्रभाव रखने वाला समझा जाएगा माना ऐसे सौंपा जाना— 1950 का 31

(क) ऐसी संपत्ति को ऐसे बोर्ड में उसी रीति से और उसी प्रभाव से, जो निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के न्यासी में निहित हो जाने से होता, ऐसे सौंपे जाने की तारीख से निहित करने के लिए प्रवर्तित हुआ था ; और 1950 का 31

(ख) ऐसे बोर्ड को, तब तक के लिए जब तक वह आवश्यक समझे, संबंधित वक्फ का सीधे प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रवर्तित हुआ था ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

108क. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

109. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(ik) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट हो सकेंगी ;

* * * * * *

(iv) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की रीति ;

* * * * * *

(vik) वह अवधि जिसके भीतर मुतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति, धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन वक्फ संपतियों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा ;

(viख) वे शर्तें, जिनके अधीन सरकार का कोई अभिकरण या कोई अन्य संगठन 31 की उपधारा (3) के अधीन अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय, कर सकेगा ;

*   *   *   *   *   *

110. (1)   *   *   *   *   *

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

*   *   *   *   *   *

(च) वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का प्ररूप, उसमें होने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां तथा धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन ओक़ाफ़ के रजिस्ट्रीकरण की रीति और स्थान ;

(छ) धारा 37 के अधीन ओक़ाफ़ के रजिस्टर में होने वाली अतिरिक्त विशिष्टियां ;

*   *   *   *   *   *